



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com.

क्रमांक: पैरामेडि.कौ./मान्यता (संबद्धता शुल्क)/2024 / 729

दिनांक 20/06/2024

प्रधानाचार्य / सचिव / निदेशक

समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय पैरामेडिकल संस्थान / महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :- मान्यता/संबद्धता शुल्क सत्र 2024-25 जमा करवाने के क्रम में।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की बैठक दिनांक 28.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति कोर्स/पाठ्यक्रम 25 सीट हेतु राशि 50,000/- एवं 50 सीटो हेतु 1,00,000/- तथा इससे अधिक सीट होने पर सीटो के संख्या के अनुपातिक रूप में लिये जाने एवं निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 10,000/- रुपये शास्ति राशि देय होगी।

कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित वार्षिक मान्यता/संबद्धता शुल्क (Affiliation Fee) दिनांक 21.06.2024 से 01.07.2024 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा दिनांक 05.07.2024 तक 10,000/- रूपयें (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना सुनिश्चित करें।

शीघ्र ही शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नहीं करवाने एवं उपरोक्त दस्तावेजात मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली संस्थानो/महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया की काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा तथा संस्थान/महाविद्यालय की नियमानुसार मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान संचालक की होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(महेन्द्र प्रताप सिंह)
R.A.S.


रजिस्ट्रार

दिनांक

क्रमांक: पैरामेडि.कौ./मान्यता (संबद्धता शुल्क)/2024 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. लेखा/रोकड शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अलपोड करें।
6. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार